(25)

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल महोदय संभाग ग्वालियर म0प्र0।

प्र0क्रं0 /2018 निगरानी

नी–5349/2018/अशोकनगर/भू.रा.

श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 1-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2018
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(1)गोकल पुत्र हीरालाल आयु 50 वर्ष जाति अहिरवार धंधा खेती निवासी ग्राम पठारी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

(2)आलसीराम पुत्र भावसिंह आयु 27 वर्ष जाति अहिरवार धंधा खेती निवासी ग्राम पठारी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....निरगरानीकर्तागण

बनाम

गोदा उर्फ गोधनसिंह पुत्र कम्मोद आयु 55 जाति अहिरवार धंधा खेती निवासी ग्राम पठारी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

....प्रतिनिगरानीकर्तागण

//निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली के प्र0क्रं0 54अ12/2017–18 सीमांकन दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत//

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़

माननीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानीकर्तागण की ओर से सीमांकन के विरूद्ध यह निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

(1) यह कि ग्राम पठारी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रं0 231/2 रकवा 0.544 हे0 भूमि निगरानीकर्ता के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसका मौके के कब्जे अनुसार नक्शे में बटाकंन दुरूस्ती निगरानीकर्ता क्रं0 01 के पिता स्व0 हीरालाल द्वारा तहसील न्यायालय के प्र0क्रं0 14अ6अ/1998–99 आदेश दिनांक 31.05.2000 से किया गया है और उसी अनुसार ही निगरानीकर्तागण मौके पर काबिज होकर खेती करतें व फसल लाभ लेते चले आ रहे है व वर्तमान में भी उनके द्वारा उड़द फसल बोई गई है जो उनकी व परिवार की आजीविका का साधन है प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्तागण को बिना सूचना दिये मनमाने तरीके से ग्राम पठारी स्थित भूमि सर्वे क्रं0

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक :– निगरानी–5349/2018/अशोकनगर/भू.रा.

गोकल व अन्य विरूद्ध गोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली, जिला–अशोकनगर के प्र.क्र. 54/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	